



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14

लखनऊ, दिनांक: 15 अक्टूबर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-04-337-0800-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य हेतु कतिपय क्षेत्रों के कुल 05 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक:- आई/790972/2026, दिनांक: 18.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 05 कार्यों, जिनका कुल योग रू0 180.15 लाख (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख पन्द्रह हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल लागत के सापेक्ष कॉलम-9 में अंकित कुल रू0 90.08 लाख (रू0 नब्बे लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में/लम्बाई कि0मी0 में)

क्रम सं0	क्षेत्र/मण्डल	खण्ड का नाम	विधान सभा	मार्ग का नाम	मार्ग श्रेणी (ग्रामीण मार्ग)	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्य क्षेत्र	प्रा0ख0 लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी	बरबर मार्ग से ककराही मार्ग तक की विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.800	14.32	4.30
2.	मध्य क्षेत्र	नि0ख-1 लखीमपुर खीरी	धौरहरा	ईसानगर रोड से मटरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1.000	14.88	4.47
3.	अयोध्या क्षेत्र	नि0ख0-4 अयोध्या	रूदौली	भेलसर टिकैत नगर मार्ग से ऐंथर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1.000	27.52	8.26
4.	गोरखपुर क्षेत्र	नि0ख0-3 गोरखपुर	कैम्पियरगंज	बन्दोह से बिचउपुर होते हुए सिद्धार्थनगर बार्डर तक (घघवा मरठहा कि0मी0 5 से बडुआ) सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	2.500	50.05	15.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5.	गोरखपुर क्षेत्र	नि0ख0-3 गोरखपुर	कैम्पियरगंज	सोनौरा बुजुर्ग डुमरिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	2.400	73.38	22.01
				योग		7.70	180.15	90.08

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि पुनरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
2. प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता का होगा।
3. लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
5. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लिखित शर्तें यथावत होंगी।
6. प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक: 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक: 30 अप्रैल, 2027 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
7. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।
8. प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
9. विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 11. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक: 28 मार्च, 2026 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,08,000 (रुपये नब्बे लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054043370800** चीनी मिल परिक्षेत्र में मार्गों की मरम्मत /नवीनीकरण/ विशेष मरम्मत कार्य **मानक मद 29** अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/7/9/10/11 एवं 12, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।